

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राज अदाखत ..... जिला कलेक्टर ..... मुकाम ..... शेक .....  
 ..... सकार ..... बन्नाम ..... गुलाब हुसेन .....  
 किरम मुकदमा ..... आवेदन नं. 518 ..... नं. .... सन् .....

धारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की हामील में जारी हुए
19 $\frac{3}{2010}$	अभिभाषक जाची ने जाचीता फा बावत पुलिस थाना मालपुरा द्वारा जप्त किये गये 2 बख्शो को सुपुडगी में दिये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 518 गौवंश अधिनियम में पेश किया है। उक्त गण्डक रजिस्टर है। थानाधिकारी मालपुरा से केस जापरी तलब होकर दिनांक 25-3-13 कोप्रेस है।	जिला कलेक्टर दोंक (राज.)
25 $\frac{3}{13}$	अभिभाषक जाची उपर। P.O. लाहल अन्वषासप है थानाधिकारी मालपुरा से केस जापरी प्राप्त। पत्रावली दिनांक 2-4-13 कोप्रेस है।	जिला कलेक्टर दोंक (राज.)
2 $\frac{4}{13}$	अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्वागत रेखा। P.O. लाहल अन्व शज जाची में व्याप्त है पत्रावली दिनांक 10-4-13 कोप्रेस है।	जिला कलेक्टर दोंक (राज.)
10 $\frac{4}{13}$	पत्रावली पेश इष्ट। अभिभाषक जाची उपर। थानाधिकारी मालपुरा से केस जापरी प्राप्त हो चुकी है पत्रावली वाले बहस दिनांक 16-4-13 कोप्रेस है।	जिला कलेक्टर दोंक (राज.)

तारीख  
हुस

हुस या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुस की तामील  
में जारी हुए

19/12/18

अभिजातक प्रार्थी व पेशेकार सरकार उज-1  
बहस हेड सबल पाहे है। वल्ले बहस  
पत्रावली दिनांक 14-1-19 को पेश है।

जिला कलेक्टर  
टांक

15/1/19

दिनांक 14-1-19 का कथानीय आदेश को ध्यान में  
रखते हुस के कारण पत्रावली आज पेश हुई।  
अभिजातक प्रार्थी व पेशेकार सरकार उज-1  
बहस हेड पत्रावली दिनांक 11-3-2019 को  
पेश है। P.O. का जन सुनवाई कार्यक्रम  
में भाग ले पाये है।

11/3/19

अभिजातक प्रार्थी व पेशेकार सरकार उज-1  
बहस हेड अबसर पाहे है। वल्ले बहस  
पत्रावली दिनांक 8-5-19 को पेश है।

जिला कलेक्टर  
टांक

8/5/19

जिला अभिजातक सेवा टांक द्वारा सुनवाई  
के कारण - याचिका कार्य समाप्त हुआ।  
बहस पत्रावली दिनांक 1-7-2019 को  
पेश है।

जिला कलेक्टर  
टांक

1/7/19

अभिजातक प्रार्थी व पेशेकार सरकार उज-1  
बहस सुनी गई। अभिजातक प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र  
सुपुर्दी के साथ पेशा कोई परतवेस पेश  
नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि  
दिनांक 8-2-2013 को दो मायों के बछड़े  
खरीद कर खेती के कार्य के लिए अपने जैज  
तक पहुंचाने के लिए शुल्क हुस पुरा कर्जे  
यां को सुपुर्द किये गये थे। प्रकरण को अपने  
पलये जाने का कोई ओरिजन प्रतीत नहीं  
होता है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्थायित्व  
किया जाता है। पत्रावली के अंत सुनवाई  
होकर बाद तबतक जाकर दाखिल पत्रावली  
है।

जिला कलेक्टर  
टांक